

d) Details of major items of agricultural products exported during the last three years is as given below:

Rs in Crore

| ITEM                             | 2007-2008    | 2008-2009    | 2009-2010    |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Basmati Rice</b>              | 4345         | 9477         | 10839        |
| <b>Non - Basmati Rice</b>        | 7410         | 1687         | 415          |
| <b>Wheat</b>                     | *            | 1            | *            |
| <b>Other Cereals</b>             | 3002         | 3920         | 3005         |
| <b>Pulses</b>                    | 526          | 540          | 407          |
| <b>Meat, poultry &amp; Dairy</b> | 5139         | 6915         | 7200         |
| <b>Fruits &amp; Vegetables</b>   | 2924         | 4399         | 5173         |
| <b>Processed Foods</b>           | 2738         | 3887         | 4045         |
| <b>Nuts and Seeds</b>            | 4996         | 5698         | 5746         |
| <b>Tobacco</b>                   | 1932         | 3461         | 4345         |
| <b>Sugar &amp; Mollasses</b>     | 5663         | 4531         | 130          |
| <b>Spices</b>                    | 4315         | 6338         | 6161         |
| <b>Oil Meals</b>                 | 8141         | 10269        | 7849         |
| <b>Guargum Meal</b>              | 1126         | 1339         | 1133         |
| <b>Floriculture Prod.</b>        | 340          | 369          | 294          |
| <b>Fruit &amp; Veg. Seeds</b>    | 142          | 120          | 145          |
| <b>Spirit &amp; Beverages</b>    | 346          | 554          | 605          |
| <b>Marine Products</b>           | 6927         | 7066         | 9891         |
| <b>Tea</b>                       | 2034         | 2689         | 2943         |
| <b>Coffee</b>                    | 1872         | 2256         | 2033         |
| <b>Castor oil</b>                | 1276         | 2129         | 2177         |
| <b>Shellac</b>                   | 124          | 104          | 71           |
| <b>Cotton raw incl.waste</b>     | 8865         | 2866         | 9543         |
| <b>Total</b>                     | <b>74183</b> | <b>80615</b> | <b>84150</b> |

\* 2007-08- Rs24.00 Lakhs and 2009-2010-Rs5.50 Lakhs (Source: DGCI&S)

e) India's share in US dollar term is about 1.4% in export of agricultural products in the international market.

f) Encouraging exports is a continuous process. The Government is taking steps to encourage exports of agro products through various measures and incentives under Plan schemes of the Commodity Boards and Export Promotion Councils. Further, in order to boost export of Indian products, the Ministry of Commerce & Industry has put in place various schemes namely Market Development Assistance (MDA), Market Assistance Initiative(MAI), Assistance to States for Developing Export Infrastructure and Allied Activities(ASIDE), Vishesh Krishi and Gram Upaj Yojana, Focus Product Scheme, Focus Market Scheme, Town of Export Excellence, etc. Trade delegations are regularly sent abroad and Buyer-Seller meets are organized towards this end. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), under the administrative control of the Department of Commerce is also implementing its various Schemes to extend financial assistance to the eligible exporters registered with it to boost over all Agri exports.

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 1012  
TO BE ANSWERED ON 15<sup>TH</sup> NOVEMBER 2010

EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS

1012. DR. SANJAY SINH:  
SHRI IJYARAJ SINGH:  
SHRI JAGDISH THAKOR:

Will the Minister of COMMERCE & INDUSTRY ( वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री )  
be pleased to state:

- the details regarding value of export of agricultural products during the last three years, country-wise;
- whether targets for export of agricultural products are not fixed in terms of quantity and value of products;
- if so, the details and the reasons therefor;
- the details regarding major items of agricultural products exported during the last three years;
- the details regarding share of India in export of agricultural products in the international market; and
- the steps being taken by the Government to give impetus to export of agricultural products?

ANSWER

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)  
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA)

- The details regarding export of agricultural products during the last three years, country-wise is available on the website of the Department of Commerce at [www.commerce.nic.in](http://www.commerce.nic.in).
- & c) Government does not fix targets for export of agricultural products because agricultural policy in India is guided by a number of goals which include food self sufficiency, ensuring remunerative prices to farmers and to ensure the availability of essential commodities in the domestic market. From time to time, the Government puts restrictions on the export/import of agricultural products to contain inflation in the country to ensure their availability at a reasonable price. Moreover, the exports of agricultural products depend on international demand and supply situation and the prevailing domestic and international prices.

## State-wise details of pending proposals for hostel schemes

| (i) For OBC Hostels  |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
| Sl.No  | Name of the State | No of hostels |
| 1  | Bihar             | 19            |
| 2  | Andhra Pradesh    | 12            |
| 3  | Karnataka         | 26            |
| 4  | Rajasthan         | 1             |
| 5  | Gujarat           | 3             |
| 6  | Jharkhand         | 4             |
| 7  | Assam             | 20            |
| (ii) For Scheduled Castes under Babu Jagjivan Ram Chhatrwas Yojana |                   |               |
| Sl.No  | Name of the State | No of hostels |
| 1  | Andhra Pradesh    | 20            |
| 2  | Assam             | 8             |
| 3  | Bihar             | 6             |
| 4  | Chhatisgargh      | 6             |
| 5  | Gujarat           | 3             |
| 6  | Haryana           | 12            |
| 7  | Jharkhand         | 3             |
| 8  | Karnataka         | 5             |
| 9  | Kerala            | 3             |
| 10   | Madhya pradesh    | 7             |
| 11   | Orissa            | 1             |
| 12   | Rajasthan         | 19            |
| 13   | Tamil Nadu        | 10            |
| 14   | Tripura           | 2             |
| 15   | Uttar Pradesh     | 6             |
| 16   | Uttarakhand       | 3             |
| 17   | West Bengal       | 2             |
| 18   | Puducherry        | 1             |

**SHORTAGE OF HOSTELS**

**-1033. SHRI BHUDEO CHOUDHARY:  
SHRI BADRI RAM JAKHAR:  
SHRI JAGDISH THAKOR:**

Will the Minister of **SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT** be pleased to state:

- (a) whether there is shortage of hostels for Scheduled Caste (SC)/Other Backward Class (OBC) students including girl students in the country including Gujarat;
- (b) if so, the details thereof, State-wise;
- (c) the details of pending proposals for hostel schemes are lying with the Union Government, State-wise;
- (d) the action taken by the Government to increase the hostel facility to the SC/OBC students in the country, State-wise;
- (e) the funds allocated and released for the purpose, State-wise;
- (f) the time by which the hostels are likely to be constructed, and
- (g) the efforts being made to meet the increasing demand for such hostels?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT  
(SHRI D. NAPOLEON)**

(a) to (d) Central assistance is provided to State Governments/Union Territory Administrations/Other implementing agencies for construction of hostels for Scheduled Caste and Other Backward Class students under Centrally Sponsored Schemes. Proposals are considered as and when they are received from the State Governments and other implementing agencies, complete in all respects and subject to availability of funds

Detail of proposals for hostel schemes under consideration for 2010-11 is at annexure.

(e) Budget allocation under the Scheme and Central assistance released during 2010-11, so far is as under:

| Scheme                             | Rs. in crore      |                |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                    | Budget Allocation | Funds Released |
| Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna | 130.00            | 6.46           |
| Hostels for OBC Boys and Girls     | 45.00             | 5.24           |

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (A) TO (F) OF LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 1107 FOR ANSWER ON 15.11.2010 REGARDING  
WHOLESALE PRICE INDEX.**



Government had set up a Working Group under the Chairmanship of Prof. Abhijit Sen for revision of the Wholesale Price Index with the base 1993-94. Some of the important recommendations made by the Working Group in its technical report, submitted in May 2008, were as follows:

- The Working Group has recommended that the base year of WPI should be shifted from 1993-94 to 2004-05.
- The Working Group suggested that the weights of the commodities should be decided on the basis of the domestically trade value.
- While computing the domestically traded value, it was recommended that only the direct export from the factories (without getting domestically traded) should be excluded from the domestic production for determination of the domestically traded goods. Similarly, import of goods which reach the factory directly (without being traded in the economy) should not be added to domestic production while determining the domestically traded value.
- The Working Group also proposed to adopt a method, in which each product group in the manufactured basket gets represented by such number of items which combinedly cover at least 80 per cent of the traded value at the group level.
- The Working Group also recommended switching over from weekly to a monthly index in the new series, as is the practice in other countries.

The new series of WPI was released on September 14, 2010. Some of the main features of the new series of WPI are the following:

- A more representative commodity basket comprising **676 items** has been selected and a new weighting diagram has been derived for the new series consistent with the structure of the economy. The number of quotations selected for collecting price data for the above items is **5482**.
- A comparative statement of weights, no. of items and no. of quotations between the old series and new series is given for the major groups in the table below:

| Major Group              | Weight        |         | No. of items |         | No. of Quotations |         |
|--------------------------|---------------|---------|--------------|---------|-------------------|---------|
|                          | 2004-05       | 1993-94 | 2004-05      | 1993-94 | 2004-05           | 1993-94 |
| All Commodities          | <b>100.00</b> | 100.00  | <b>676</b>   | 435     | <b>5482</b>       | 1918    |
| 1. Primary Articles      | <b>20.12</b>  | 22.02   | <b>102</b>   | 98      | <b>579</b>        | 455     |
| 2. Fuel & Power          | <b>14.91</b>  | 14.23   | <b>19</b>    | 19      | <b>72</b>         | 72      |
| 3. Manufactured Products | <b>64.97</b>  | 63.75   | <b>555</b>   | 318     | <b>4831</b>       | 1391    |

- Some of the important items included in the new series are flowers, lemon and crude petroleum in **Primary Articles** and ice-cream, canned meat, palm oil, readymade/instant food powder, mineral water, computer stationary, leather products, scooter/motorcycle tyre, polymers, petrochemical intermediates, granites, marbles, gold and silver, construction machinery, refrigerators, computers, dish antenna, transformer, microwave oven, communication equipments (telephone instruments), TV sets, VCD, washing machine and auto parts in **Manufactured Products**. A complete list of commodity basket including their weights in the new series of WPI with the base 2004-05 is available on the website [www.eaindustry.nic.in](http://www.eaindustry.nic.in).
- New series of WPI has a more representative basket which better represents the structural changes that have taken place in the economy. It, therefore, captures the price variation in manufacturing and other products in a better way.

①

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION**

.....  
**LOK SABHA**

**UNSTARRED QUESTION NO. 1107.  
TO BE ANSWERED ON MONDAY, THE 15<sup>TH</sup> NOVEMBER, 2010.**

**'WHOLESALE PRICE INDEX'**

**1107. SHRI DINESH CHANDRA YADAV:  
SHRI PRADEEP MAJHI:  
SHRI GANESH SINGH:  
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:  
SHRI KISHNBHAI V. PATEL:  
SHRI HARSH VARDHAN:  
SHRI JAGDISH THAKOR:**

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

- (a) whether the Government has set up a Working Group to examine the existing criteria/procedure of Wholesale Price Index (WPI) in the country;
- (b) if so, the details of the recommendations made by the said Group;
- (c) whether the Government has released the new series of WPI in the country;
- (d) if so, the details thereof alongwith the new items which are to be included in the basket of commodities to determine the new WPI series;
- (e) whether the new system for calculating the price variation in the manufacturing products/commodities is likely to reflect the real picture of the industrial production/prices of commodities; and
- (f) if so, the details thereof?

**ANSWER**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया )  
**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**  
**(SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA)**

(a) to (f): A Statement is enclosed.

(c) The "National Broadband Policy 2004" envisioned creation of adequate infrastructure through various access technologies alongwith the penetration of PC, which would contribute to the overall growth of Bradband services.

The targets fro Braodband Subscribers for the country were as follows:

| Year Ending | Broadband Subscribers |
|-------------|-----------------------|
| 2005        | 3 million             |
| 2007        | 9 million             |
| 2010        | 20 million            |

(d) As of August 2010, 10.08 million broadband connections have been provided in India.

(e) The main constraints in achieving the Broadband Targets:

- i. High cost of network expansion
- ii. Right of way issues in laying optical fibre
- iii. High backhaul cost
- iv. Low PC penetration
- v. High cost of Customer Premises Equipment
- vi. Low literacy levels
- vii. Lack of locally relevant content
- viii. Poor power supply.

\*\*\*\*\*

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY  
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS**

**LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 1109  
TO BE ANSWERED ON 15<sup>TH</sup> NOVEMBER, 2010**

**BROADBAND CONNECTIONS IN GRAM PANCHAYATS**

1109. SHRI JAGDISH THAKOR:  
SHRIMATI INGRID MCLEOD:  
SHRI KISHNBHAI V. PATEL:  
SHRIMATI BOTCHA JHANSHI LAKSHMI:  
DR. KIRODI LAL MEENA:  
SHRI GORAKHNATH PANDEY:  
SHRI KACHHADIA NARANBHAI:  
SHRI PRADEEP MAJHI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

- (a) whether the Government has any proposal to draw a time-bound action plan for ensuring broadband connectivity to all Gram Panchayats in the country;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the Government has set up any broadband target under the Broadband Policy, 2004;
- (d) if so, the extent to which it has been achieved as on date; and
- (e) if not, the reasons therefor?

**ANSWER**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SACHIN PILOT)

- (a) Yes, Madam.
- (b) The Government, under Bharat Nirman II Programme, has set a target of broadband coverage of all 2,50,000 Village Panchayats by 2012. As of September 2010, a total of 97,426 Village Panchayats have been broadband enabled.

Contd.....2/-



भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1209

दिनांक 16.11.2010/25 कार्तिक, 1932 (शक) को उत्तर के लिए

एन० बी० सी० डिटेक्टर

†1209. श्री जगदीश ठाकोर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न सुरक्षा बलों/एजेंसियों के लिए परमाणु, बायोलोजिकल और रसायन डिटेक्टरों की खरीद है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उपकरणों से क्या लाभ होने की संभावना है ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खरीदे गए उक्त उपकरणों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या विभिन्न सुरक्षा बल/एजेंसियों ऐसे और अधिक उपकरण खरीदने की मांग कर रही हैं ; और

(ड.) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क): जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) के लिए परमाणु, बायोलोजिकल और रेडियोलोजिकल खतरों का पता लगाने और उपशमन करने वाले उपकरणों की खरीद की है।

(ख) और (ग) : ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। क्रम संख्या 8, 9, 10, 15, 16, 19, 28, 29 और 30 को छोड़कर सभी मर्दे एन बी सी का पता लगाने वाले उपकरण हैं और शेष उपशमन के उपकरण हैं।

(घ) और (ड.) : वर्तमान में केवल एन डी आर एफ ने इन उपकरणों की मांग की है और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से कोई मांग नहीं आयी है।

---

अनुलग्नक

एन बी सी उपकरणों के वर्ष-वार खरीद के ब्यौरे

| क्रम सं.  | मद का नाम  | अधिकतम मात्रा | खरीद की गई मात्रा | खरीद करने वाली एजेंसी | ठेका देने का वर्ष |
|---|--|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| एन बी सी मदों का खरीद सीपीएमएफ द्वारा वर्ष 2007-2008 के दौरान सी पी एम एफ के आवंटित बजट में से की गयी और इसे एन डी आर एफ बटालियन को दिया गया    |  |               |                   |                       |                   |
| 1   | टेलीटेक्टर   | 144           | 144               | सीआईएसएफ              | 2007-2008         |
| 2   | जी एम सर्वे मीटर   | 432           | 432               | सीआईएसएफ              | 2007-2008         |
| 3   | कॅन्टामीनेशन मॉनीटर                                      | 432           | 432               | सीआईएसएफ              | 2007-2008         |
| 4   | मिनी रेंड मीटर   | 144           | 144               | सीआईएसएफ              | 2007-2008         |
| 5   | पोर्टेबल अल्फा कॅन्टामीनेशन मॉनीटर                       | 72            | 72                | सीआईएसएफ              | 2007-2008         |
| 6   | इलैक्ट्रोनिक्स डौसीमीटर                                  | 3308          | 3308              | सीआईएसएफ              | 2007-2008         |
| 7   | अल्फा कॉउंटिंग सिस्टम                                    | 4             | 4                 | सीआईएसएफ              | 2007-2008         |
| 8   | ब्रीथिंग आपरेटस सेट विद स्पेयर सिलेंडर                   | 144           | 144               | बीएसएफ                | 2007-2008         |
| 9   | इंटीग्रेटेड हूड मास्क                                    | 216           | 216               | बीएसएफ                | 2007-2008         |
| 10  | रेस्पिरैटर गैस मारक विद 2 कॅनेस्टर                       | 3240          | 3240              | बीएसएफ                | 2007-2008         |
| एन बी सी मदों का खरीद सीपीएम एफ द्वारा वर्ष 2008-2009 के दौरान सी पी एम एफ के आवंटित बजट में से की गयी और इसे एन डी आर एफ बटालियनों को दिया गया |  |               |                   |                       |                   |
| 11  | बीटा गामा कॉउंटिंग सिस्टम                                | 24            | 24                | सीआईएसएफ              | 2008-09           |
| 12  | पोर्टेबल गामा स्पेक्ट्रोमीटर                             | 4             | 4                 | सीआईएसएफ              | 2008-09           |
| 13  | बैटरी आपरेटेड एयर सैम्पलर विद फिल्टर पेपर                | 144           | 144               | सीआईएसएफ              | 2008-09           |
| 14  | माइक्रो सर्वे मीटर                                       | 144           | 144               | सीआईएसएफ              | 2008-09           |
| 15  | ब्यूटल रबर ग्लबस (इनर और आउटर)                           | 3240          | 3240              | सीआरपीएफ              | 2008-09           |
| एन बी सी मदों का खरीद सीपीएमएफ द्वारा वर्ष 2009-2010 के दौरान सी पी एम एफ के आवंटित बजट में से की गई और इसे एन डी आर एफ बटालियनों को दिया गया   |  |               |                   |                       |                   |
| 16  | एनबीसी ओवरबूट  | 3240          | 3240              | सीआरपीएफ              | 2009-10           |
| एन बी सी मदों का खरीद वर्ष 2010-11 के दौरान एन डी एम ए/आई टी बी पी/एन डी आर एफ द्वारा एन डी आर एफ के लिए आवंटित बजट में से किया गया।            |  |               |                   |                       |                   |
| 17  | थी कनर डिटेक्शन पेपर                                     | 3240          | 3240              | आईटीबीपी              | 2010-11           |
| 18  | सी डब्ल्यू सैम्पलिंग किट                                 | 96            | 96                | एन डी आर एफ           | 2010-11           |
| 19  | डीकाटामीनेशन किट   | 72            | 72                | एन डी आर एफ           | 2010-11           |
| 20  | रेसिड्युअल वेपर डिटेक्शन किट                             | 72            | 10                | आईटीबीपी              | 2010-11           |
| 21  | हैंड हैंड रामन डिक्टर                                    | 02            | 02                | एनडीएमए               | 2010-11           |
| 22  | हैंड हैंड बायोलोजिकल यूनिट                               | 05            | 05                | एनडीएमए               | 2010-11           |
| 23  | रैडिएशन मॉनीटर फॉर वीकल इंटी प्वाइंट                     | 03            | 03                | एनडीएमए               | 2010-11           |
| 24  | पोर्टेबल डौस रेट मीटर                                    | 12            | 12                | एनडीएमए               | 2010-11           |
| 25  | हैजमैट वीकल  | 04            | 04                | एनडीएमए               | 2010-11           |
| 26  | इंटीग्रेटेड सीबीआरएन मॉनोटोरिंग सिस्टम विदीन वेन्यू 24x7 | 06            | 06                | एनडीएमए               | 2010-11           |
| 27  | इंटीग्रेटेड सीबीआरएन सर्वलैस वीकल                        | 02            | 02                | एनडीएमए               | 2010-11           |
| 28  | फैसमास्विचद 02 कॅनेस्टर                                  | 3240          | 3240              | एन डी आर एफ           | 2010-11           |
| 29  | एनएपीएस टेबलेट्स   | 7600          | 7600              | एन डी आर एफ           | 2010-11           |
| 30  | ब्रीथिंग आपरेटस सेट                                      | 100           | 100               | एन डी आर एफ           | 2010-11           |
| 31  | थमो ल्यूमिनेसेंट डौसीमीटर                                | 400           | 400               | एन डी आर एफ           | 2010-11           |

अनुसूची-1  
हथकरघा बुनकर और सान्द्र कागज की तृतीय संयोजना (2003-04) के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार 42.03 लाख हथकरघा बुनकर व सान्द्र कागज हैं। राज्य-वार स्वीरे इस प्रकार हैं

| क्र.सं | राज्य का नाम     | बुनकरों और सान्द्र कागजातों (अंशित) |
|--------|------------------|-------------------------------------|
| 1      | आन्ध्र प्रदेश    | 355,838                             |
| 2      | अरुणाचल प्रदेश   | 33,041                              |
| 3      | असम              | 1,643,453                           |
| 4      | बिहार            | 43,392                              |
| 5      | छत्तीसगढ़        | 8,191                               |
| 6      | दिल्ली           | 2,738                               |
| 7      | गोवा             | 0                                   |
| 8      | गुजरात           | 11,009                              |
| 9      | हरियाणा          | 7,967                               |
| 10     | हिमाचल प्रदेश    | 13,458                              |
| 11     | जम्मू तथा कश्मीर | 33,209                              |
| 12     | झारखण्ड          | 21,160                              |
| 13     | कर्नाटक          | 89,256                              |
| 14     | केरल             | 14,679                              |
| 15     | मध्य प्रदेश      | 14,761                              |
| 16     | महाराष्ट्र       | 3,418                               |
| 17     | गुजिपुर          | 218,753                             |
| 18     | मिजोरम           | 43,528                              |
| 19     | मेघालय           | 13,612                              |
| 20     | नगालैण्ड         | 66,490                              |
| 21     | उड़ीसा           | 114,106                             |
| 22     | पच्छीमेरी        | 2,803                               |
| 23     | पंजाब            | 2,636                               |
| 24     | राजस्थान         | 31,958                              |
| 25     | सिक्किम          | 568                                 |
| 26     | तमिलनाडु         | 331,551                             |
| 27     | त्रिपुरा         | 137,177                             |
| 28     | उत्तर प्रदेश     | 257,783                             |
| 29     | उत्तरांचल        | 15,468                              |
| 30     | पश्चिम बंगाल     | 761,714                             |
|        | <b>कुल</b>       | <b>4,293,517</b>                    |

विविध हथकरघा योजना स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान जारी राशि के स्वीरे (करोड़ रुपये में)

| क्र. | राज्य का नाम     | एकीकृत हथकरघा विकास योजना |               |               | विभिन्न एवं नियोजन संवर्धन योजना |              |              |
|------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|      |                  | 2007-08                   | 2008-09       | 2009-10       | 2007-08                          | 2008-09      | 2009-10      |
| 1    | आन्ध्र प्रदेश    | 16.78                     | 6.22          | 11.11         | 0.95                             | 1.87         | 2.10         |
| 2    | अरुणाचल प्रदेश   | 1.50                      | 3.21          | 1.76          | 0.03                             | 0.02         | 0.00         |
| 3    | असम              | 7.85                      | 3.12          | 4.54          | 1.43                             | 2.10         | 4.11         |
| 4    | बिहार            | 0.89                      | 1.04          | 0.00          | 0.02                             | 0.02         | 0.05         |
| 5    | छत्तीसगढ़        | 0.92                      | 0.61          | 0.00          | 0.42                             | 0.17         | 0.37         |
| 6    | दिल्ली           | 0.00                      | 0.00          | 0.16          | 0.49                             | 0.37         | 0.61         |
| 7    | गोवा             | 0.00                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 8    | गुजरात           | 1.14                      | 0.75          | 0.97          | 0.27                             | 0.26         | 0.76         |
| 9    | हरियाणा          | 0.05                      | 0.00          | 0.45          | 0.13                             | 0.37         | 0.28         |
| 10   | हिमाचल प्रदेश    | 0.77                      | 0.76          | 1.39          | 0.17                             | 0.26         | 0.51         |
| 11   | जम्मू तथा कश्मीर | 0.00                      | 1.43          | 1.37          | 0.06                             | 0.00         | 0.00         |
| 12   | झारखण्ड          | 1.69                      | 2.83          | 4.11          | 0.00                             | 0.04         | 0.02         |
| 13   | कर्नाटक          | 8.76                      | 5.74          | 0.74          | 0.70                             | 1.44         | 1.20         |
| 14   | केरल             | 6.24                      | 6.43          | 2.30          | 0.18                             | 0.23         | 0.00         |
| 15   | मध्य प्रदेश      | 1.46                      | 2.13          | 0.54          | 0.86                             | 0.12         | 0.68         |
| 16   | महाराष्ट्र       | 0.00                      | 0.00          | 0.16          | 1.09                             | 1.89         | 1.37         |
| 17   | गुजिपुर          | 6.02                      | 2.86          | 0.00          | 0.10                             | 0.35         | 0.47         |
| 18   | मिजोरम           | 0.83                      | 0.55          | 1.42          | 0.17                             | 0.06         | 0.89         |
| 19   | मेघालय           | 0.00                      | 0.00          | 0.90          | 0.51                             | 0.34         | 0.00         |
| 20   | नगालैण्ड         | 1.94                      | 2.43          | 10.58         | 0.87                             | 2.06         | 3.73         |
| 21   | उड़ीसा           | 3.98                      | 5.70          | 5.27          | 1.15                             | 1.07         | 0.74         |
| 22   | पच्छीमेरी        | 0.00                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                             | 0.00         | 0.00         |
| 23   | पंजाब            | 0.00                      | 0.50          | 0.00          | 0.05                             | 2.00         | 0.00         |
| 24   | राजस्थान         | 0.26                      | 0.54          | 0.15          | 0.64                             | 0.44         | 0.73         |
| 25   | सिक्किम          | 0.00                      | 0.37          | 0.00          | 0.04                             | 2.03         | 0.04         |
| 26   | तमिलनाडु         | 29.77                     | 41.75         | 50.15         | 0.62                             | 1.54         | 0.80         |
| 27   | त्रिपुरा         | 1.36                      | 1.28          | 0.85          | 0.04                             | 0.09         | 0.36         |
| 28   | उत्तर प्रदेश     | 2.36                      | 4.28          | 3.06          | 1.35                             | 2.36         | 1.73         |
| 29   | उत्तरांचल        | 0.90                      | 1.57          | 0.15          | 0.15                             | 0.46         | 0.45         |
| 30   | पश्चिम बंगाल     | 4.05                      | 5.01          | 2.94          | 0.51                             | 1.06         | 0.60         |
|      | <b>कुल</b>       | <b>99.51</b>              | <b>100.61</b> | <b>107.00</b> | <b>13.00</b>                     | <b>19.02</b> | <b>22.60</b> |
|      | अन्य संगठन       | 10.99                     | 8.37          | 8.57          | 10.44                            | 25.97        | 27.00        |
|      | <b>कुल योग</b>   | <b>110.50</b>             | <b>108.98</b> | <b>115.57</b> | <b>23.44</b>                     | <b>44.99</b> | <b>49.60</b> |

विविध हथकरघा वीर-योजना स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान जारी राशि के स्वीरे (करोड़ रुपये में)

| क्र.सं | राज्य का नाम     | हथकरघा (उत्पादन वस्तुओं का आकार) अधिनियम, 1909 का कार्यान्वयन |             |             | गिराव 10% विशेष छूट |              |              |
|--------|------------------|---|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
|        |                  | 2007-08   | 2008-09     | 2009-10     | 2007-08             | 2008-09      | 2009-10      |
| 1      | आन्ध्र प्रदेश    | 0.72  | 0.18        | 0.96        | 5.87                | 6.27         | 2.27         |
| 2      | अरुणाचल प्रदेश   |   |             | 0.00        | 0.05                | 0.00         | 0.00         |
| 3      | असम              |   |             | 0.00        | 0.00                | 6.40         | 0.03         |
| 4      | बिहार            |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 5      | छत्तीसगढ़        |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 6      | दिल्ली           |   |             | 0.00        | 0.20                | 0.00         | 0.98         |
| 7      | गोवा             |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 8      | गुजरात           |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 9      | हरियाणा          | 0.28  | 0.56        | 0.58        | 0.54                | 0.52         | 0.88         |
| 10     | हिमाचल प्रदेश    |   |             | 0.16        | 5.15                | 0.00         | 0.00         |
| 11     | जम्मू तथा कश्मीर |   |             | 0.00        | 0.00                | 2.20         | 1.96         |
| 12     | झारखण्ड          |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 13     | कर्नाटक          |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.03         |
| 14     | केरल             |   |             | 0.00        | 2.48                | 1.66         | 0.61         |
| 15     | मध्य प्रदेश      |   |             | 0.00        | 8.30                | 3.50         | 2.52         |
| 16     | महाराष्ट्र       |   | 0.12        | 0.13        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 17     | गुजिपुर          |   |             | 0.00        | 0.23                | 0.16         | 0.00         |
| 18     | मिजोरम           |   |             | 0.00        | 0.89                | 0.00         | 0.00         |
| 19     | मेघालय           |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 20     | नगालैण्ड         |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 21     | उड़ीसा           |   |             | 0.00        | 1.89                | 2.31         | 3.47         |
| 22     | पच्छीमेरी        |   |             | 0.00        | 4.80                | 7.64         | 1.09         |
| 23     | पंजाब            |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00         |
| 24     | राजस्थान         |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.04         | 0.11         |
| 25     | सिक्किम          |   | 0.29        | 0.26        | 0.00                | 7.34         | 0.00         |
| 26     | तमिलनाडु         | 0.39  | 0.24        | 1.33        | 6.49                | 0.00         | 0.00         |
| 27     | त्रिपुरा         |   |             | 0.00        | 6.49                | 5.29         | 1.89         |
| 28     | उत्तर प्रदेश     |   |             | 0.00        | 0.20                | 0.00         | 0.00         |
| 29     | उत्तरांचल        |   |             | 0.00        | 0.00                | 7.03         | 1.35         |
| 30     | पश्चिम बंगाल     |   |             | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 0.20         |
|        | <b>कुल</b>       | <b>1.50</b>   | <b>1.50</b> | <b>3.50</b> | <b>39.00</b>        | <b>53.01</b> | <b>18.50</b> |
|        | अन्य संगठन       | 0.00  | 0.00        | 0.00        | 1.00                | 0.32         | 0.00         |
|        | <b>कुल योग</b>   | <b>1.50</b>   | <b>1.50</b> | <b>3.50</b> | <b>40.00</b>        | <b>53.33</b> | <b>18.50</b> |

2613. श्री जगदीश ठाकोर :  
श्री एन.चेलुवरया स्वामी :  
श्री अंजनकुमार एम.यादव :

यथा वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार देश में हथकरघा उद्योग के संवर्धन हेतु नई योजनाएं तैयार करने का है ;  
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ;  
(ग) हथकरघा उद्योग में राज्य-वार कितने व्यक्ति नियोजित किए गए ;  
(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हथकरघा क्षेत्र द्वारा राज्य-वार कितनी मात्रा में कपड़े का उत्पादन किया गया ;  
(ङ.) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार ने हथकरघा उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता/राज्यसहायता प्रदान की है; और  
(व) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौर क्या है ?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी)

(क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए समन्वित एवं संगठित रूप से सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार नई योजनाएं आरंभ करके लाभ प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। 11वीं योजनावधि के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित 5 योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है:-

• एकीकृत हथकरघा विकास योजना

इस योजना में 300-500 हथकरघों के "समूह" अथवा 10-100 बुनकरों के "समूह" की आवश्यकता पर आधारित निवेशों (इनपुट) की व्यवस्था है ताकि उनको मजिन धन, कार्यशील पूंजी, नए करघों तथा अतिरिक्त पुर्ज/सामान, बुनाई में कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, रंगाई और संसाधन, डिजाइन बनाने विपणन अवसरों हेतु वित्तीय सहायता तथा वर्कशेड के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करके स्व-संपोषणीय बनाया जा सके।

• हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

इसमें दो पृथक योजनाएं अर्थात् हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना तथा प्राकृतिक/दुर्घटनात्मक मृत्यु, पुर्यटना के कारण पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराने हेतु महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है।

• विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना

यह योजना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में हथकरघा उत्पादों की बिक्री में सहायता के लिए डिजाइन विकास और विपणन संपर्कों के मार्फत विपणन अयत्न और अवसरचना सहायता मुहैया कराती है।

• मिल गेट मूल्य योजना

यह योजना पात्र हथकरघा अधिकरणों को मिल गेट मूल्य पर अभी प्रकार का रूत (गारन) उपलब्ध कराती है ताकि हथकरघा बुनकरों की बुनियादी कच्ची सामग्रियों की नियमित आपूर्ति करने में सहायता की जा सके तथा उनके रोजगार की संभावना को आशावादी बनाया जा सके।

• विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

इस योजना में हथकरघा बुनकरों की उत्पादकता तथा आय बढ़ाने हेतु समूचे देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्रों तथा 5 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से डिजाइन और उत्पाद विकास के लिए बुनकरों के प्रौद्योगिकीय तथा कौशल उन्नयन के लिए सहायता की व्यवस्था है।

- (ग) हथकरघा उद्योग में राज्यवार नियोजित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-1 में है।  
(घ) राज्यवार वस्त्र उत्पादन के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं; तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार गत 3 वर्षों के दौरान हर वर्ष हथकरघा क्षेत्र में वस्त्र उत्पादन की मात्रा इस प्रकार है:-

| वर्ष    | उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में) |
|---------|--------------------------------|
| 2007-08 | 6947                           |
| 2008-09 | 6677                           |
| 2009-10 | 6769                           |

- (ङ.) और (व) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हथकरघा उद्योगों को मंजूर की गई वित्तीय सहायता (सब्सिडी) का वर्ष-वार व राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-11 में है।

लोक सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2010 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण.

(क): कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 23.10.2009 को जारी अपने पहले अग्रिम अनुमानों में यह दर्शाया है कि वर्ष 2010-11 के दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन क्रमशः 102 मिलियन टन और 82 मिलियन टन होने का अनुमान है। जबकि 2009-10 में चावल एवं गेहूं का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 89.13 मिलियन टन एवं 80.71 मिलियन टन था। कृषि एवं सहकारिता विभाग ने 2010-11 में खरीफ की फसल में 80.41 मिलियन टन चावल का उत्पादन होने के अनुमान लगाया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खरीदे गए चावल और गेहूं और केन्द्रीय पूल में रखे स्टॉक की मात्रा के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ): सरकार द्वारा खरीदी गई मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धता होने के कारण सरकार ने तीन विभिन्न स्कीमों के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए 86.72 लाख टन खाद्यान्नों का तदर्थ अतिरिक्त आवंटन किया है ताकि वर्तमान मौसम के दौरान खरीदे गए अनाज के भंडारण के लिए गोदामों में स्थान बनाया जा सके।

लोक सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2010 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खरीदे गए गेहूं और चावल की मात्रा (लाख टन में)

| रबी<br>मौसम | विपणन<br>मात्रा | खरीदे गए गेहूं की<br>मात्रा | खरीफ<br>मौसम | विपणन<br>मात्रा | खरीदे गए<br>चावल की<br>मात्रा |
|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|
| 2007-08     |                 | 111.28                      | 2007-08      |                 | 287.36                        |
| 2008-09     |                 | 226.89                      | 2008-09      |                 | 336.85                        |
| 2009-10     |                 | 253.82                      | 2009-10      |                 | 314.50                        |
| 2010-11     |                 | 225.25*                     | 2010-11      |                 | 108.30#                       |

\* 30.7.10 के अनुसार स्थिति

# 25.11.2010 की स्थिति के अनुसार

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गेहूं और चावल का रखा गया स्टॉक

(लाख टन में)

| निम्नांकित तारीख<br>को रखा गया<br>स्टॉक | गेहूं  | चावल   | जोड़   |
|---|--------|--------|--------|
| 1.4.2007                                | 47.03  | 131.12 | 177.15 |
| 1.4.2008                                | 58.03  | 138.35 | 196.38 |
| 1.4.2009                                | 134.29 | 216.04 | 350.33 |
| 1.4.2010                                | 161.25 | 267.13 | 428.38 |
| 1.10.2010                               | 277.77 | 184.44 | 462.21 |

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 300

30 नवम्बर, 2010 के लिए प्रश्न

खाद्यान्नों की खरीद

\*300. श्री जगदीश ठाकोर:

श्री पूर्णमासी राम:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान धान, चावल और गेहूं का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में उक्त वस्तुओं की खरीद की गई और उक्त अवधि के दौरान सरकार के पास कुल कितना स्टॉक मौजूद रहा;

(ग) क्या उक्त मात्रा देश की आवश्यकता को पूरा करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री शरद पवार)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

ऊंचाई वाले स्थानों के लिए मर्दें

3098. श्री जगदीश ठाकोर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16000 फीट या इससे ऊंचे उन्नतांश क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों के लिए खरीद की जा रही मर्दों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए आदेशों तथा अनुबंधों के कुल मूल्य का मद-वार तथा फर्म-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त मर्दों के लिए निरीक्षण एजेंसी द्वारा तैयार किए गए विनिर्देशनों का ब्यौरा क्या है और सामान्यीकृत विनिर्देशन, यदि कोई नहीं है, तैयार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर  
रक्षा मंत्री (श्री ए. के. अन्टनी)

(क) से (ग) : उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को विशेष कपड़े और पर्वतारोहण उपस्कर, जिनमें 55 मर्दें शामिल हैं, मुहैया कराए जाते हैं । इनमें से 36 मर्दों की अधिप्राप्ति स्वदेशी रूप से और शेष 19 मर्दों की अधिप्राप्ति आयात करके की जाती है । इनके लिए विनिर्देशन गुणता आश्वासन महानिदेशक द्वारा प्रयोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श करके तैयार किए जाते हैं । विनिर्देशनों का तैयार किया जाना और उनका उन्नयन करना एक सतत प्रक्रिया है । विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए सेना मुख्यालय के मास्टर जनरल ऑफ आर्डिनेंस की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है । प्राधिकार के आधार पर अधिकार प्राप्त संपन्न समिति द्वारा नियमित आधार पर अधिप्राप्ति की जाती है और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई है ।

\* \* \* \* \*



लोक सभा

नियम 377 के अधीन सूचना

दिनांक : 15-11-2010 200

प्रेषक

भगदीश ठाकुर, संसद सदस्य।

सेवा में,

महासचिव,  
लोक सभा,  
नई दिल्ली।

महोदय,

मैं अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ कि मुझे नियम 377 के अधीन दिनांक 15-11-2010 को सभा में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करने की अनुमति प्रदान की जाये।

यदि अनुमति दी गई, मैं निम्नलिखित वक्तव्य दूंगा -

मान्यवर,

गुजरात सरकार अल्पसंख्यकों छात्रों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अल्पसंख्य छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों (मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई, पारसी आदि) के मेधावी छात्रों का समावेश किया है। देश के सभी राज्यों में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के मेधावी छात्रों को रुपये 1,000/- प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है जिसमें केन्द्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों का अंशदान 25 प्रतिशत है। बड़े दुःख के साथ कहा पड़ रहा है कि गुजरात में अल्पसंख्यकों को केन्द्र की इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

गुजरात सरकार मेलों के आयोजनों, प्रचार प्रसार अन्य मदों में पैसा खर्च कर रही है लेकिन सरकार के पास अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 25 प्रतिशत अंशदान देने के लिए नहीं है। गुजरात सरकार अल्पसंख्यकों को अनपढ़ रखना चाहती है जिससे वे शिक्षा से वंचित रहे और समाज की मुख्य धारा के साथ तरक्की न कर सके और आर्थिक रूप से सशक्त न हों। भारत सरकार ने गुजरात सरकार से इस विषय में पत्र व्यवहार किया, जवाब में बड़ी बेशर्मी से कहा है कि हम अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकते।

सभापति जी, नया मार्ग पत्रिका के सम्पादक श्री इन्दु कुमार जानी और अल्पसंख्यक एन.जी.ओ. ने छात्रवृत्ति मुद्दे को आंदोलन के रूप में उठाया है। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। भारत सरकार के नियमों एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। मेरा इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि राज्य सरकार को तुरन्त उचित दिशा निर्देश जारी करें जिससे गुजरात प्रदेश के अल्पसंख्यक मेधावी छात्र छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकें। मेरा ऐसा अनुरोध है।

भवदीय,

सदस्य, लोक सभा

विभाजन संख्या .....

2010-11 के दौरान वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण अनुलग्नक-I में है। मंत्रालय में जिला-वार वित्तीय आकड़े नहीं रखे जाते हैं।

केन्द्र सरकार ने गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित देश भर में कार्यान्वित करने के लिए 56850 महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु 15 करोड़ रु० के प्रावधान के साथ वर्ष 2010-11 में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा मुस्लिम छात्राओं के लिए किसी भी विशेष कार्यक्रम का संचालन नहीं हो रहा है। तथापि, एनएमडीएफसी द्वारा अपने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से महिलाओं सहित व्यक्तियों को सावधि ऋण तथा गुजरात सहित देश भर में स्वसहायता समूहों के रूप में संगठित अल्पसंख्यकों के मध्य निर्धनतम व्यक्तियों को लघु ऋण प्रदान किया जाता है।

पिछले 2 वर्षों के दौरान कौशल विकास तथा स्वरोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण के लिए आवंटित धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न अनुलग्नक-II में हैं। आवंटन और व्यय संबंधी आकड़ों का रख-रखाव राज्य-वार किया जाता है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 22.50 लाख रु० की राशि दी गई है।

\*\*\*\*\*

अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु धनराशि का आवंटन विषय पर श्री राधे मोहन सिंह और श्री जगदीश ठाकोर द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 11.11.2010 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 673 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक।

गुजरात राज्य के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी आकड़े

| क्रम सं० | वर्ष    | जारी की गई छात्रवृत्तियों की संख्या |       | जारी की गई कुल राशि (करोड़ रु० में) | छात्राओं का प्रतिशत |
|----------|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------|
|          |         | पुरुष                               | महिला |                                     |                     |
| 1.       | 2007-08 | 00.00                               | 00.00 | 00.00                               | -                   |
| 2.       | 2008-09 | 2912                                | 2851  | 1.96                                | 49.47               |
| 3.       | 2009-10 | 3985                                | 3781  | 2.88                                | 48.69               |
| 4.       | 2010-11 | शून्य                               | शून्य | शून्य                               | शून्य               |

गुजरात राज्य के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति संबंधी आकड़े

| क्रम सं० | वर्ष                              | जारी की गई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या | संवितरित की गई कुल राशि (रु० में) | छात्राओं की कुल संख्या |
|----------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| 1.       | 2007-08                           | 195                                     | 37,23,078                         | 59                     |
| 2.       | 2008-09                           | 526                                     | 1,06,72,201                       | 123                    |
| 3.       | 2009-10                           | 705                                     | 1,42,57,881                       | 245                    |
| 4.       | 2010-11<br>(दिनांक 10.11.2010 तक) | 555                                     | 1,14,48,218                       | 182                    |

गुजरात राज्य के लिए मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति संबंधी आकड़े

| वर्ष    | बालिकाओं की संख्या | संवितरित धनराशि (लाख रु० में) |
|---------|--------------------|-------------------------------|
| 2007-08 | 147                | 17.64                         |
| 2008-09 | 623                | 74.76                         |
| 2009-10 | 709                | 85.08                         |
| 2010-11 | शून्य              | शून्य                         |

अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु धनराशि का आवंटन विषय पर श्री राधे मोहन सिंह और श्री जगदीश ठाकोर द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 11.11.2010 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारकित प्रश्न संख्या 673 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित अनुलग्नक।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम  
कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आवंटित धनराशि

|          |                 | लाख रु० में                 |                             |
|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| क्रम सं० | राज्य           | 2008-09<br>आवंटित<br>धनराशि | 2009-10<br>आवंटित<br>धनराशि |
| 1        | आन्ध्र प्रदेश   | 0.00                        | 1.80                        |
| 2        | असम             | 3.60                        | 5.40                        |
| 3        | बिहार           | 5.40                        | 7.20                        |
| 4        | चंडीगढ़         | 1.80                        | 1.80                        |
| 5        | छत्तीसगढ़       | 1.80                        | 1.80                        |
| 6        | दिल्ली          | 3.60                        | 5.40                        |
| 7        | गुजरात          | 7.20                        | 9.00                        |
| 8        | हिमाचल प्रदेश   | 3.60                        | 5.40                        |
| 9        | हरियाणा         | 3.60                        | 7.20                        |
| 10       | जम्मू और कश्मीर | 10.80                       | 12.60                       |
| 11       | झारखंड          | 3.15                        | 1.80                        |
| 12       | केरल            | 19.80                       | 27.00                       |
| 13       | कर्नाटक         | 9.00                        | 10.80                       |
| 14       | महाराष्ट्र      | 10.80                       | 14.40                       |
| 15       | मणिपुर          | 1.80                        | 1.80                        |
| 16       | मध्य प्रदेश     | 3.60                        | 5.40                        |
| 17       | मिजोरम          | 5.40                        | 5.40                        |
| 18       | नागालैंड        | 7.20                        | 5.40                        |
| 19       | उड़ीसा          | 108.00                      | 1.80                        |
| 20       | पुडूचेरी        | 1.80                        | 1.80                        |
| 21       | पंजाब           | 7.20                        | 9.00                        |
| 22       | राजस्थान        | 3.60                        | 3.60                        |
| 23       | तमिलनाडू        | 9.00                        | 10.80                       |
| 24       | त्रिपुरा        | 3.60                        | 3.60                        |
| 25       | उत्तर प्रदेश    | 10.80                       | 14.40                       |
| 26       | उत्तराखंड       | 3.60                        | 3.60                        |
| 27       | पश्चिम बंगाल    | 28.80                       | 39.60                       |
|          | योग             | 278.55                      | 217.80                      |

## अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु धनराशि का आवंटन

673. श्री राघे मोहन सिंह :  
श्री जगदीश ठाकोर :

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विभिन्न राज्यों में विशेषकर गुजरात में सरकारों द्वारा मुस्लिम लड़कियों के लिए चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ गुजरात में जिला-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;
- (घ) चालू वित्तीय वर्ष हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;
- (ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक महिलाओं के कौशल विकास तथा स्वरोजगारोन्मुख प्रशिक्षण हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और
- (च) उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में आवंटित राशि में से कितनी राशि खर्च की गई?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(सलमान खुर्शीद)

(क) से (च) अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए केन्द्र सरकार की मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए, जिनमें मुस्लिम लड़कियां भी शामिल हैं, निर्धारित होती हैं। इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए पात्रता का आधार पिछली अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अर्जित किया हुआ होना तथा माता-पिता की आय अधिकतम 1 लाख रु0 मैट्रिक-पूर्व योजना के लिए, 2 लाख रु0 मैट्रिकोत्तर योजना के लिए तथा 2.5 लाख रु0 मेरिट-सह-साधन आधारित योजना के लिए है। विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट [www.minorityaffairs.gov.in](http://www.minorityaffairs.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इन तीनों योजनाओं में से गुजरात राज्य केवल मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन विशेष रूप से किया जा रहा है। गुजरात राज्य में कार्यान्वित मैट्रिकोत्तर, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले तीन वर्ष तथा वर्ष

दिनांक 22 नवम्बर, 2010 को उत्तर दिए जाने के लिए  
विशेष आर्थिक जोन परियोजनाओं का पूरा किया जाना

1879. श्री जगदीश ठाकोर:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

- (क) क्या बड़ी संख्या में डेवलपर मूल अनुमोदन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अपनी विशेष आर्थिक जोन परियोजनाओं को पूरा करने में असफल रहे;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन विशेष आर्थिक जोनों का परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्योरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा और विस्तार प्रदान किया गया है;
- (घ) विभिन्न राज्यों में इन प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन परियोजना को पूरा करने में विलंब के परिणामस्वरूप रोजगार तथा निर्यात सृजन किस सीमा तक प्रभावित हुआ है;
- (ङ) क्या सरकार ने इस विशेष आर्थिक जोन के डेवलपर्स को अपनी परियोजनाएं समय पर पूरा करने हेतु कोई नया निदेश जारी किया है; और
- (च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा0 सिंधिया)

(क) और (ख): एस ई जेड नियम, 2006 के नियम 6 के अनुसार अनुमोदन तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है जिसके भीतर अनुमोदित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विकासकर्ता द्वारा प्रभावकारी कदम उठाया जाना होता है। विकासकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर अनुमोदन बोर्ड वैधता अवधि बढ़ा सकता है। एस ई जेड परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एस ई जेड नियमों एवं प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) से (च): विकासकर्ताओं से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि से आगे वैधता अवधि में विस्तार हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जिनमें समय विस्तार के आधार के रूप में वैश्विक आर्थिक मंदी/अपेक्षित स्वीकृतियाँ प्राप्त करने में विलम्ब आदि का उल्लेख किया गया है। एस ई जेड अधिनियम, 2005 तथा एस ई जेड नियम, 2006 के प्रावधानों और दिए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) ने प्रत्येक मामले की अर्हता के आधार पर 184 एस ई जेडों को प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि से आगे वैधता अवधि में विस्तार की अनुमति दी है जो मूल अनुमोदन में यथानिर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अध्वधीन है।

एस ई जेडों पर सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एन एफ ई) आय अर्जित करने का दायित्व होता है जिसका परिकलन उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए संचयी रूप से किया जाता है और इसमें असफल रहने पर इकाई पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। दिनांक 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एस ई जेडों में कुल 6,20,824 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में हुए निर्यातों की तुलना में लगभग 121.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2009-10 के दौरान एस ई जेडों से लगभग 2,20,711 करोड़ रूपए के कुल वास्तविक निर्यात हुए हैं। दिनांक 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार अर्थात् चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में एस ई जेडों से 1,39,841 करोड़ रूपए के कुल वास्तविक निर्यात हुए हैं जिनमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 55.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।